

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे0मि0 केस सं0- 16 / 19-20

मो0 हबीब अहमद बनाम् मो0 अनारकली

-: आदेश :-

2.01.2021

प्रस्तुत वाद आवेदक मो0 हबीब अहमद, पे0-स्व0 समीरुद्दीन अंसारी, सा0-बकनपुर, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा, के मौजा-दिग्धी नं0-441, जमाबंदी नं0- 41, दाग नं0- 1379 में रकवा 00-02-05 धूर जमीन द्वितीय पक्ष मोसमात अनारकली, पति-स्व0 शे0 बदरुद्दीन उर्फ शे0 पद्दू, सा0-नया टोला, दिग्धी, थाना-महागामा को मौजा-बकनपुर नं0-440, जमाबंदी नं0-19, दाग नं0-127, कुल रकवा-00-03-17 धूर जमीन से बदलेन को लेकर प्रारंभ किया गया है।

तदनुसार मौजा-दिग्धी एवं बकनपुर के 16 आना रैयत को तथा उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।


आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति उपरांत बदलानामा का निश्चय किया है। प्रासंगिक मौजा की भूमि एक-दूसरे से सटी हुई है। आवेदक का जमीन पर आने-जाने के लिए रास्ता एवं विपक्षी को मकान बनाने के लिए सुविधा को लेकर बदलानामा चाहते हैं, जिससे उभय पक्षों के शेष जमीन का भी सुविधापूर्वक उपयोग किया जा सके। प्रासंगिक भूमि उभय पक्षों की पैतृक भूमि है, जो आपसी बँटवारा के फलस्वरूप प्राप्त है तथा शांतिपूर्वक दखलकार है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि के पर्चा की प्रति समर्पित की गई है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा भी आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के कथन पर पूर्ण सहमति दी गई।

अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक-774/रा0, दिनांक-22.12.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक भूमि उभय पक्षों की भूमि है। मौजा-दिग्धी एवं बकनपुर दोनों सटा हुआ है। मौजा-दिग्धी की जमीन का Value अधिक है, क्योंकि यह जमीन R.E.O. रोड के बगल में है। साथ ही जमीन पर जाने के लिए 05 कड़ी का रास्ता भी छोड़ा गया है, इसके बदले में मौजा-बकनपुर का दाग नं0-127 की जमीन प्रथम पक्ष के घर के पिछे पड़ता है, जिसके Value कम है। दोनों जमीन का Valuation सामान्य करने हेतु रकवा को कम और अधिक किया गया है। दोनों पक्ष राजी-खुशी से बदलानामा करना चाहते हैं। दोनों पक्ष जमाबंदी रैयत के वंशज है तथा अपने हिस्से के जमीन को अदला-बदली करना चाहते हैं। वर्तमान में आवेदित दाग नं0 पर आवेदक का दखल कब्जा है। जांच के क्रम में किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा का जांच प्रतिवेदन, किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं रहने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के आधार पर संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-23 के तहत प्रासंगिक भूमि को उभय पक्षों के बीच बदलानामा की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।

Seen  
Banoole Kumar Singh  
12/10/21

Seen  
Kumar Singh  
12/10/21